न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/2019/095

1. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र करणाराम विश्नोई
2. रामरतन पुत्र करणाराम विश्नोई
3. ओमाराम पुत्र करणाराम विश्नोई
4. हरीराम पुत्र करणाराम विश्नोई
5. अमरोदेवी पत्नी करणाराम विश्नोई
6. परमेश्वरी पुत्री करणाराम विश्नोई
7. सुमित्रा पुत्री करणाराम विश्नोई
8. सुवा पुत्री करणाराम विश्नोई

निवासीगण विनायकपुरा, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थीगण

ब

ना

म

1. सूरताराम पुत्र आईदानराम विश्नोई,
   निवासी विनायकपुरा, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बावडी
   जिला जोधपुर

----- प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 08 जून 2018 उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) बावडी, कैम्प विनायकपुरा प्रकरण संख्या 109/2018

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार
रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोककुमार चौधरी
रेस्पो. सं. दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (शिविर प्रभारी) बावडी, कैम्प विनायकपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 08 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 जून 2018 को पेश की गयी है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 571 रकबा 8 बिस्वा गैरमुमकिन ढाणी एवं खसरा संख्यां 572 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा विनायकपुरा तहसील बावडा एवं सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 538 के मध्य आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 570 से होकर (प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये अनुसार) 30 फीट चौडा बिन्दु अ से ब रास्ता घोषित किये जाने एवं तदनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम वगैरा दिनांक 16 अप्रेल 2018 को संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को तलब किया गया, दिनांक 19 अप्रेल 2018 को आदेशिका में अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 5, 7 से 12 बावजूद तामील अनुपस्थित होना, बकाया अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील/अदम तामील प्राप्त नहीं होना दर्शाते हुए मिसल इंतजार में रखते हुए आगामी पेशी 27 अप्रेल 2018 निर्धारित की गयी। इसी

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

आदेशिका में तहसीलदार बावडी से मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी, इसके बाद सीधे ही पत्रावली में 08 जून 2018 की आदेशिका अंकित है, जिसके अनुसार पत्रावली राजस्व कैम्प विनायकपुरा में पेश हुई, हाशिए पर प्रार्थी सुरताराम तथा अप्रार्थीगण रामरतन, चैनाराम, हंसराम और भंवरराम के हस्ताक्षर है और इसी आदेशिका में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने बहस में तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया गया, मगर अपीलाधीन आदेश में उनके जवाब में उल्लेखित तथ्यो बावत कोई गौर ही नहीं किया गया, अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की जिस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया, वह किन-किन की उपस्थिति में तैयार की गयी, स्पष्ट नहीं है, पत्रावली शिविर में रखे जाने बावत कोई पूर्व सूचना न तो अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट को दी गयी और न ही उनके अधिवक्ता को दी गयी, 08 जून 2018 को ही अपीलाण्ट संख्या एक को फोन करके बुलाया गया और एक खाली आज्ञा सूची पर हस्ताक्षर करवाये गये, जो आज्ञा सूची के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में शिविर प्रभारी ने अत्याधिक जल्दबाजी की है। न्यायिक मामलों में अत्याधिक जल्दबाजी अन्याय के समान होती है।

अपनी बहस जारी रखते हुए अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) बावडी कैम्प विनायकपुरा द्वारा एक अन्य प्रकरण संख्या 106/2018

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

चेनाराम बनाम हंसराज आदि में भी आदेश दिनांक 08 जून 2018 पारित करते हुए अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में से 30 फीट चौडा रास्ता आराजी खसरा संख्या 569 में आवागमन हेतु स्वीकृत किया है (जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील संख्या 094/2018 हंसराज बनाम चेनाराम आदि विचाराधीन है)। इस प्रकार अपीलाण्ट्स की उक्त खसरा संख्या 570 की भूमि खण्ड-खण्ड होती जा रही है, अतः यदि अदालत हाजा की राय में इन रेस्पो. को अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है तो पृथक-पृथक रास्ते दिये जाने की बजाय 30 फीट चौडाई का एक ही रास्ता दोनों ही प्रकरणों में अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में से, प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम आदि में पेज संख्या 26 पर अंकित नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए-बी-सी अनुसार स्वीकृत कर दिया जावे तो अपीलाण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तदनुसार अपील स्वीकार कर अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये वर्तमान में रास्ता निर्धारित किया गया है, वह लघुतम दूरी का रास्ता है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा भी कोई वैकल्पिक रास्ता होना जाहिर नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे और अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायाचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 19 अप्रेल 2018 की आदेशिका में आगामी पेशी 27 अप्रेल 2018 निर्धारित किये जाने के बावजूद भी निर्धारित दिनांक को कोई आदेशिका नहीं लिखे जाने और फिर सीधे ही दिनांक 08 जून 2018 को आदेशिका लिखते हुए प्रकरण शिविर में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का कोई औचित्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं पायां जाता है। इसी प्रकार प्रकरण शिविर में रखे जाने की पूर्व सूचना अपीलाण्ट्स को दिया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। मगर इस संबंध में अपीलाण्ट संख्या एक को टेलिफोन किया जाना और आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाया जाना स्वयं अपीलाण्ट पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है, एक अपीलाण्ट की जानकारी सभी अपीलाण्ट की जानकारी होना विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8 जून 2018 की आदेशिका, जिस दिन प्रकरण राजस्व कैम्प कोर्ट विनायकपुरा रखा गया, के हाशिए पर अप्रार्थीगण रामरतन, चेनाराम, हंसराम, भंवरराम तथा प्रार्थी सुरताराम के हस्ताक्षर है, जिससे सिद्ध है कि उन्हें प्रकरण उक्त दिनांक को शिविर में रखे जाने की समुचित सूचना प्राप्त हो चुकी थी।

जहॉ तक रास्ता दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में, इस संबंध में धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय अपनायी जाने वाली प्रकिया की पालना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश प्रार्थी-रेस्पों. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 571 व 572 तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु खसरा संख्या 570 में से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 26 पर उपलब्ध नजरी में लाल रंग से वर्णितानुसार विन्दु डी से विन्दु ई तक 15 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सबसे उपयुक्त है। अदालत हाजा अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 जून 2018 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम की पत्रावली में पेज 26 पर उपलब्ध नजरी नक्शा बतौर प्रदर्श ए इस निर्णय के साथ रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

(26)

(7) नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018

"प्रदर्श- ए"

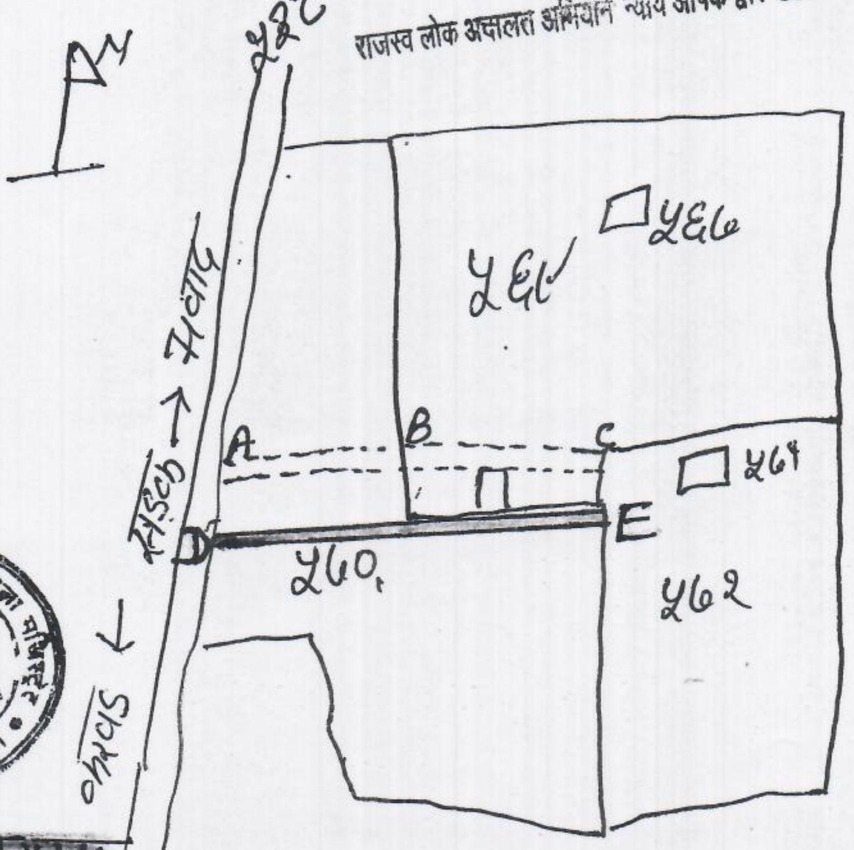

न्यायालय RAA जोधपुर
(i) अपील सं० - 95/2018
(ii) अपील सं. 94/2018

अनवान
(i) हंसराज vs सुखाराम
(ii) हंसराज vs चेनाराम

निर्णय दिनांक 14.10.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तावित रास्ता
मार्क D से E
15 फीट चौड़ा

मुकदमा नम्बर 109/2018
निर्णय दिनांक 08/6/2018 में
प्रस्तावित रास्ता की
मौका रिपोर्ट निर्णय का
भाग रहेगी।

नक्शा लट्ठा के अनुसार दूरी फीट में
रास्ते की — रकबा
A से B - 211 फीट - 4 बिस्वांसी
B से C - 343 फीट - 5 बिस्वांसी
कुल

शिविर प्रभारी अधिकारी
राज.लो.अ.अभि. न्याय आपके द्वार–2018
एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी

भू.अ.नि. भवाद
11/5/18

पटवारी भवाद
तह — बावडी